पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 मई, 2010 ई0 (ज्येष्ठ 08, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	145–155	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	105	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

दिनांक 21 जनवरी, 2010

संख्या 539/दस–1–2009–10(23)/2001–''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ–

1–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली, 2009 है;

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जाना–

2–उत्तर प्रदेश वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में जहां–जहां शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां वह शब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।

नियम 15 का प्रतिस्थापन–

3–उत्तर प्रदेश वन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15–कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।	15–कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक ग्रेड के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–सेवा में कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड–II के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही नियम 16 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

नियम 16 का प्रतिस्थापन–

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 16 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16–आशुलेखकों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–	16–कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड–II के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–
(1) भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–	(1) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–
(एक) मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय के लिए–	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी– अध्यक्ष

(1) मुख्य अरण्यपाल,

(2) अपर मुख्य अरण्यपाल, और

(3) अरण्यपाल, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

(दो) अपर मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय के लिए–

(1) सम्बद्ध अपर मुख्य अरण्यपाल,

(2) सम्बद्ध अपर मुख्य अरण्यपाल द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अरण्यपाल

(तीन) अरण्यपाल और/या निदेशक और प्रभागीय वन कार्यालय और/या उप निदेशक और/या किसी प्रभाग के प्रभारी–उप अरण्यपाल के कार्यालय के लिए–

(1) सम्बद्ध अरण्यपाल/निदेशक,

(2) सम्बद्ध अरण्यपाल/निदेशक द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो प्रभागीय वन अधिकारी/उप निदेशक

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य–विषय और प्रक्रिया परिशिष्ट–दो में दी गई है।

(3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम, 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जितने इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों, साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किए गये अंकों में जोड़ दिए जायेंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता–क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा, सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य

(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी– सदस्य

टिप्पणी–

(एक) यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हों तो उस विभाग हेतु सम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी। ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

(2) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उपनियम (2) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(4) उप नियम (3) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(5) (एक) चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा 10 अंकों की वस्तुनिष्ठा प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा का प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट ww.ua.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ङ) कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड–II के पदों हेतु क्रमशः 50–50 अंक की टंकण तथा आशुलिपि व कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण की परीक्षा होगी। टंकण हेतु 4000 KDPH तथा आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण/आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। टंकण/आशुलिपि परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा।

(6) लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों, के अंकों तथा टंकण/आशुलिपि परीक्षा के अंकों को जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

परिशिष्ट–दो का निरसन–

5–उक्त नियमावली का परिशिष्ट–दो निरसित कर दिया जायेगा, अर्थात् उक्त नियमावली का परिशिष्ट–दो एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 539/X-1-2009-10(23)/2001, dated 21 January, 2010 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

Dehradun, Dated 21 January, 2010

No. 539/X-1-2009-10(23)/2001--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules to the context of Uttarakhand State with a view to amending the Forest Department Ministerial Service Rules, 1981 (as applicable to the State of Uttarakhand).

Short Title and Commencement--

1. (1) These rules may be called, "The Uttarakhand Forest Department Ministerial Service (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

Expression "Uttar Pradesh" to be read as "Uttarakhand"--

2. In the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Forest Department Ministerial) Service Rules, 1981, wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs, it shall be read as "Uttarakhand".

Substitution of Rule 15--

3. In the Uttar Pradesh Forest Department Ministerial Service Rules, 1981 (as applicable to the state of Uttarakhand), hereinafter referred to as the said Rules, for the existing rule 15, set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely--

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
15--Procedure for direct recruitment to the post of Junior Assistant--Recruitment to the post of **Junior Assistant** shall be made in accordance with the procedure laid down in the Sub-ordinate Officers Ministerial Staff (Direct recruitment) Rules, 1975 as amended from time to time.	**15**--Procedure for direct recruitment to the post of Junior Assistant and Stenographer. The direct recruitment to the posts of Junior Assistant and Stenographer Grade-II shall be made in accordance with the procedure laid down in Rule 16.

Substitution of Rule 16--

4. In the said Rules for the existing Rule 16, set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely--

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
16--Procedure for direct recruitment to the post of Stenographer--	**16--Procedure for direct recruitment to the posts of Junior Assistant and Stenographer Grade-II--**
(1) For the purpose of recruitment, there shall be constituted a Selection Committee, as follows : (One) For the office of the Chief Conservator of Forests-- (1) The Chief Conservator of Forests, (2) Additioal Chief Conservator of Forests, and (3) Conservator of Forests, Headquarters, U.P. (Two) For the office of the Additional Chief Conservator of Forests-- (1) The concerned Additional Chief Conservator of Forests, (2) Two Conservators of Forests nominated by the concerned Additional Chief Conservator of Forests. (Three) For the office of the Conservator of Forests and/or Directors and Divisional Forest Officers and/or Dy. Directors and/or Dy. Conservators in charge of Divisions-- (1) The concerned Conservator of Forests/ Director, (2) Two Divisional Forest Officers/Deputy Directors, nominated by the concerned Conservator of Forests. (2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination.	(1) The direct recruitment shall be made through a Selection Committee comprising the following : (i) Appointing Authority-- Chairman (ii) An officer nominated by the Chairman belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes if the chairman does not belong to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes. In case the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer, other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, shall be nominated by the Chairman-- Member. (iii) An officer nominated by the Chairman belonging to other Backward Classes, if the Chairman does not belong to Other Backward Classes. In case the Chairman belongs to Other Backward Classes, an officer other than belonging to Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes, shall be nominated by the Chairman-- Member. (iv) An Officer having adequate knowledge in the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made, shall be nominated by the Chairman--Member. (v) An Officer to be nominated by the District Magistrate of the concerned District-- Member. Note-- (i) In case there are more than one Appointing Authorities in a department in

Note--The syllabus and procedure for the competitive examination is given in Appendix-2.

any district single Selection Committee shall be constituted for the entire district for that Department. The senior most Appointing Authority shall be the Chairman of the Selection Committee.

(ii) In case the jurisdiction of an Appointing Authority is over more than one district, the procedure for recruitment shall be followed in that district in which the Head Quarters of the Appointing Authority is situated.

(2) The Appointing Authority shall publish the application form for direct recruitment in at least two daily news-papers, having wide circulation.

(3) The Appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the form published in sub rule (2) and notify the vacancies in the following manner :

(i) By issuing advertisment in daily news-papers, having wide circulation;

(ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment news papers; and

(iii) By notifying the vacancies to the Employment Exchange.

(4) The application form shall not be republished while notifying the vacancies under sub rule (3).

(5) (i) There shall be a written test of 100 marks. The merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in written test and other evaluations.

(ii)(a) There shall be an objective type written test of 100 marks comprising one question paper of General Hindi, General Knowledge and General Studies. In the evaluation of question paper, one mark shall be awarded for each correct answer and ¼ negative mark shall be awarded for each incorrect answer.

(b) After the written examination the candidaes shall be permitted to carry back the Question-Booklet of the written test with them.

(c) The Answer-Sheet of the written test shall be in duplicate including a carbon copy and after the examination is over, the candidate shall be permitted to carry back the duplicate copy with him.

(d) After the written examination, the Answer Key of the written test shall be displayed on the Uttarakhand website www.ua.nic.in

(e) For the posts of Junior Assistant and Stenographer Grade-II, there shall be Hindi typewriting on computer and Stenography and typewriting test carrying 50 words each. The minimum prescribed speed for typewriting shall be 4000 KDPH and 80 words per minute for stenography. Only those candidates shall be awarded marks who have attained the minimum prescribed speed. The number of candidates called for typing/stenography test shall be four times the number of vacancies. The candidates shall be called for typing/ stenography test on the basis of the aggregate of marks obtained in written test and other evaluations.

(6) The marks obtained in the written test and other evaluations typing/stenography test shall be added and the final selection list shall be prepared on the basis of the aggregate of marks so arrived. In case two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate securing more marks in the written test shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list will be more than the number of Vacancies, but not more than 25 percent. Selection Committee will forward the lsit to the Appointing Authority.

Omission of Appendix II--

5. In the Said Rule, the appendix II Shall be omitted, Namely Appendix II of the said rules is hereby omitted.

By Order,

SUBHAS KUMAR,
Principal Secretary & Commissioner,
Forests & Rural Development.

पशुपालन अनुभाग–2

कार्यालय–ज्ञाप

दिनांक 04 फरवरी, 2010

संख्या 338/XV–2/01(26)/08 –राज्यपाल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दुग्ध ग्रिड के सुदृढ़ीकरण हेतु रिवाल्विंग फण्ड के संचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

इस नियमावली का संक्षिप्त नाम मिल्क ग्रिड सुदृढ़ीकरण रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 है।

2–संक्षिप्त विवरण–

(1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दुग्ध ग्रिड सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत रु0 350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) एवं पशुआहार परिचालन व्यय हेतु स्वीकृत रु0 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) की धनराशि रिवाल्विंग फण्ड कहलायेगी।

(2) राज्य दुग्ध ग्रिड और दुग्ध मार्गों के लिए परिचालन व्यय हेतु स्वीकृत रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि रु0 350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध व दुग्ध पदार्थों (एस.एम.पी./डब्ल्यू.एम.पी./घी/बटर ऑयल) का क्रय किया जायेगा तथा पशुआहार परिचालन व्यय हेतु स्वीकृत रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि रु0 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) से पशुआहार निर्माण हेतु कच्चा माल का क्रय किया जायेगा।

(3) रिवाल्विंग फण्ड बिना किसी आवर्तक अनुदान के अनवरत संचालित किया जायेगा।

3–रिवाल्विंग फण्ड की निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जाएगी, जिसका संचालन प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी एवं प्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

4–आय का स्रोत–

(1) रिवाल्विंग फण्ड के बचत खाते में सरकार से इस प्रयोजन हेतु प्राप्त होने वाली धनराशियाँ।

(2) दुग्ध संघों द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी के रिवाल्विंग फण्ड की अदायगी करने हेतु यू0सी0डी0एफ0 द्वारा रिवाल्विंग फण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एवं रिपेमेन्ट शैड्यूल तैयार किया जायेगा, जिसके समय से वापसी न होने पर दण्ड की शर्तों का भी उल्लेख होगा। रिवाल्विंग फण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एवं रिपेमेन्ट शैड्यूल की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जायेगी।

5–आहरण–वितरण अधिकारी–

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी द्वारा इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का आहरण व वितरण उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी की प्रबन्ध कमेटी के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। इस मद में स्वीकृत धनराशि के आहरण–वितरण अधिकारी प्रबन्ध निदेशक होंगे।

6–लेखे का रख–रखाव–

(1) रिवाल्विंग फण्ड के दैनिक लेखे बनाये जाने तथा उनके पर्यवेक्षण हेतु प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी द्वारा किसी ख्याति प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवायें ली जायेंगी।

(2) प्रबन्धक (वित्त) लेखा के रखरखाव हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7–कच्चे माल का निर्धारण–

विभिन्न दुग्ध संघों को उपलब्ध रिवाल्विंग फण्ड से दुग्ध उपार्जन, दुग्ध व दुग्ध पदार्थ–एस0एम0पी0/डब्ल्यू0एम0पी0/घी/बटर ऑयल तथा पशुआहार निर्माण हेतु कच्चा माल निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय किया जायेगा।

8–धनराशि का जमा किया जाना एवं आय–व्यय की समीक्षा–

विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली धनराशि को नियमित रूप से सम्बन्धित दुग्ध संघों द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी के एस्क्रो खाते में जमा किया जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी की प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त दुग्ध संघों/पशुआहार निर्माणशाला, रुद्रपुर को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(1) रिवाल्विंग फण्ड का व्यय एवं वापसी संलग्न अनुबन्ध पत्र में वर्णित निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(2) प्रत्येक तीन माह में प्रोजेक्ट के कार्यों तथा रिवाल्विंग फण्ड के आय–व्ययक की समीक्षा प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार रिवाल्विंग फण्ड का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी निदेशक, डेयरी विकास विभाग, हल्द्वानी होंगे तथा उनके द्वारा प्रत्येक त्रैमास में रिवाल्विंग फण्ड/प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट शासन/भारत सरकार को भेजी जायेगी।

(4) प्रबन्ध निदेशक द्वारा विभिन्न दुग्ध संघों की त्रैमासिक समीक्षात्मक टिप्पणी निदेशक, डेयरी विकास विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

(5) नोडल अधिकारी निदेशक/अपर निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि रिवाल्विंग फण्ड से व्यय की गई धनराशि की शत्–प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक कर ली जाय।

9–लेखे का वार्षिक निरीक्षण–

(1) रिवाल्विंग फण्ड का लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा, जिसका आन्तरिक सम्परीक्षण उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा करने के पश्चात् महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा विभागीय सम्प्रेक्षण किया जायेगा।

(2) रिवाल्विंग फण्ड के लेखे–जोखे का ऑडिट वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कराया जायेगा साथ ही महालेखाकार द्वारा भी नियमानुसार ऑडिट किया जायेगा।

10–त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रेषण–

(1) योजना के उद्देश्यों की पूर्ति का स्टेट्स प्रतिशत में लिया जायेगा। साथ ही लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के विवरण दिये जायेंगे।

(2) लाभ हानि की क्या स्थिति रही है स्पष्ट की जायेगी।

(3) रिवाल्विंग फण्ड के प्रति–पूर्ति की स्थिति दी जायेगी।

(4) पूर्व में किये गये ऑडिट के बिन्दुओं की अनुपालन की स्थिति दी जायेगी।

(5) प्रतिवेदन की प्रति उत्तराखण्ड शासन के प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग से अशा0 संख्या 127/XXVII–4/2009, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

शासनादेश संख्या 338/XV–2/01(26)/08 दिनांक 4 फरवरी, 2010 का संलग्नक

अनुबन्ध–पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक.....प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0 हल्द्वानी, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है तथा प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 .....जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है एवं .....बैंक के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्पन्न हुआ :

1. यह कि प्रथम पक्ष रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि द्वितीय पक्ष को दुग्ध उपार्जन व दुग्ध पदार्थों (एस0एम0पी0/डब्ल्यू0 एम0पी0/घी/बटर ऑयल) के क्रय हेतु उपलब्ध करायेगा। द्वितीय पक्ष सम्बन्धित धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही करेगा।

2. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आपसी सहमति से द्वितीय पक्ष को रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि उपलब्ध कराने एवं किस्तवार रिवाल्विंग फण्ड की वापसी का शेड्यूल तय करेंगे, जोकि इस अनुबन्ध का भाग होगा एवं दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित मुहरयुक्त एवं स्वीकार्य होगा।

3. यह कि उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा दुग्ध संघों को उपलब्ध करायी गयी रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि रिपेमेन्ट ऑफ शेड्यूल के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड खाते मे जमा करना होगा, जिस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :

(क) उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) का शेड्यूल/नेशनलाईज बैंक में रिवाल्विंग फण्ड का खाता खुलेगा, उसी बैंक में प्रत्येक दुग्ध संघ का एस्क्रो खाता खोला जायेगा।

(ख) सम्बन्धित दुग्ध संघ को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री की धनराशि को ऐसे बैंक के खाते में रखना होगा, जहाँ पर आर0टी0जी0एस0 (रीयल टाइम ग्रास सेटेलमेन्ट) की सुविधा उपलब्ध हो। सम्बन्धित दुग्ध संघ का प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंक को पूर्व में ही लिखित निर्देश देगा कि निर्धारित माह से प्रत्येक माह की पहली तारीख को रिवाल्विंग फण्ड मद में ली गयी धनराशि को निर्धारित किस्त की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अपने एस्क्रो खाता हल्द्वानी बैंक में स्थानान्तरित कर दें। तदुपरान्त बैंक द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघ के एस्क्रो खाते में से फेडरेशन के खाते में धनराशि स्थानान्तरित कर दी जायेगी। इस प्रकार सम्बन्धित दुग्ध संघ से रिवाल्विंग फण्ड की वसूली सुनिश्चित होगी।

(ग) यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत धनराशि की वापसी की जाती है, तो प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार की ब्याज द्वितीय पक्ष से लेने का हकदार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत धनराशि की वापसी नहीं की जाती है, तो उस दशा में प्रथम पक्ष अवशेष धनराशि पर निर्धारित अवधि के उपरान्त शेष धनराशि, जो वापस नहीं की गयी, उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लेने का हकदार होगा।

(घ) रिवाल्विंग फण्ड मद में ली गयी धनराशि का निर्धारित किस्त की धनराशि का भुगतान समयान्तर्गत न करने पर अथवा रिवाल्विंग फण्ड का दुरूपयोग करने पर द्वितीय पक्ष (सम्बन्धित दुग्ध संघ) के प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक तथा प्रबन्धक (वित्त) संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार अनुबन्ध आपसी सहमति से निष्पादित सम्पन्न किया गया।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	तृतीय पक्ष
ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0	प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ	शाखा प्रबन्धक/सम्बन्धित बैंक
दो साक्षी प्रथम पक्ष	दो साक्षी द्वितीय पक्ष	दो साक्षी तृतीय पक्ष
1.	1.	1. .....
.....	.....	.....
2.	2.	2. .....
.....	.....	.....

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/277–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 मई, 2010 ई0 (ज्येष्ठ 08, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 28, 2010

No. 271/UHC/XIV/63/Admin. A--Ms. Neetu Joshi, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned earned leave for 23 days w.e.f. 11.01.2010 to 02.02.2010.

April 28, 2010

No. 271/UHC/XIV/63/Admin. A--Ms. Neetu Joshi, Civil Judge (Sr. Div.) Champawat is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 03.03.2010 to 20.03.2010 with permission to suffix 21.03.2010 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट / 277–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।